167

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2929—दो / 2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—06—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 56 / बी—121 / 2013—14.

....

1—श्रीमती बेलाकली पत्नी बाल्मीक चतुर्वेदी

2— जय शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

3— दया शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

4—विजय शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

5—रमा शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

6—मणि शंकर पिता बाल्मीक चतुर्वेदी

7—विद्या शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

8—अजय शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

9—उदय शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

10—उमा शंकर तनय बाल्मीक चतुर्वेदी

निवासीगण ग्राम मैदानी तहसील हुजूर

जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—श्रीमती मानवती पत्नी यशवंत शर्मा

2— शिवानंद तनय हरप्रसाद चतुर्वेदी

3— दया नंद तनय हरप्रसाद चतुर्वेदी

निवासीगण ग्राम मैदानी तहसील हुजूर

जिला रीवा म0प्र0

4– कृपा शंकर पिता बालमीक प्रसाद चतुर्वेदी
निवासीगण ग्राम मैदानी तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

––– अनावेदकगण

....

श्री शशांक शेखर पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शिवेन्द्र सिंह अभिभाषक, अनावेदक क0 1, 2, 3
अनावेदक कमांक –4 सूचना उपरांत अनुपस्थित

....

आदेश
(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–06–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्तागणों के सहखातों की भूमियां का खाता विभाजन तहसील हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 59/अ–27/2011–12 में आदेश दिनांक 21.2.12 में पारित किया गया जो निगरानीकर्ता जयशंकर द्वारा पेश किया गया। इसी दरम्यान अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के समक्ष निगरानीकर्ता के पिता बाल्मीक प्रसाद द्वारा तहसीलदार हुजूर के प्रकरण कमांक 59/अ–27/2006–07 आदेश दिनांक 31.10.2009 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई जहां पर प्रकरण समाप्त के साथ एक राजीनामा आवेदन दिनांक 28.12.10 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकरण कमांक 34/अ–27/2009–10 आदेश दिनांक 26.6.11 पारित किया गया जिसमें प्रकरण समाप्त किये उसके साथ एक अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसील हुजूर को प्रकरण भेजा गया जिसमें तहसील हुजूर द्वारा पूर्व पारित बटनवारा प्रकरण कमांक 59/अ–27/2006–07

आदेश दिनांक 31.10.2009 में अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 34/अ–27/2009–10 आदेश दिनांक 26.6.11 के परिपालन में संशोधन आदेश पारित किया गया जिसमें हल्का पटवारी द्वारा इत्तला दर्ज नहीं की गई, उसने प्रस्तुत प्रतिवेदन में तहसीलदार हुजूर द्वारा एक अन्य बटनवारा प्रकरण कमांक 202/अ–27/2011–12 आदेश दिनांक 21.3.12 के कारण इत्तला दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जिस पर तहसीलदार हुजूर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर से पुनर्विलोकन अनुमति प्राप्त कर प्रकरण 202/अ–27/2011–12 आदेश दिनांक 21.3.12 को भी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 34/अ–27/2009–10 आदेश दिनांक 26.6.2011 के पालन में निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्व अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के समक्ष निगरानीकर्तागणों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण कमांक 56/बी–121/2013–14 कायम किया जाकर आदेश दिनांक 19.5.14 पारित किया गया जिसमें अपील खारिज कर तहसीलदार हुजूर के प्रकरण कमांक 34/अ–27/2009–10 आदेश दिनांक 26.6.11 के पालनार्थ किये गये आदेश को स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के उक्त प्रकरण के विरूद्व अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानीकर्तागण द्वारा की गई जहां प्रकरण कमांक 604/अपील/2013–14 कायम किया जाकर आदेश दिनांक 4.6.15 पारित किया गया जिसमें दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को स्थिर रखते हुये निगरानीकर्तागणों की अपील खारिज कर दी गई जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता ने अपनी लेखी बहस में मुख्य रूप से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा राजीनामा दिनांक 28.12.10 को वैध राजीनामा मानने और उस अनुसार उभयपक्षों के काबिज होने के निष्कर्ष को चुनौती दी है। निगरानीकर्ता का कहना है कि जब वैद्य राजीनामा हुआ ही नही तो उसको राजीनामा मानने में सभी अधीनस्थ न्यायालयों ने भूल की है कथित राजीनामा एक फर्जी राजीनामा आवेदन मात्र है, जिसमें कुछ पक्षकारों के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं जिसका न तो पक्षकारों को तलब कर सत्यापन कराया गया, न ही विचारण न्यायालय के समक्ष उनके बयान दर्ज किये गये और न ही उनको तलब ही किया गया। गैरनिगरानीकर्ता

द्वारा कथित राजीनामा आवेदन के विरूद्व ज़ाकर रकबा 1.84 एकड़ भूमि विकय किया गया जबकि राजीनामा अनुसार उसको मात्र 1.56 एकड़ का रकबा प्राप्त था। म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता की धार 39 के तहत गैरनिगरानीकर्तागणों द्वारा कोई भी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया। वैसे भी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर द्वारा निर्णित प्रकरण कमांक 34/अ—27/2009—10 आदेश दिनांक 26.6.11 सिर्फ प्रकरण समाप्त किये जाने का आदेश था, वह कोई राजीनामा आदेश था ही नहीं। ऐसी स्थिति में प्रकरण कमांक 34/अ—27/2009—10 के आदेश को राजीनामा आदेश मानने में व इस अनुसार पक्षकारो के काबिज होने को सही मानने में सभी अधीनस्थ न्यायालयों ने भूल की है। निगरानी में इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्रकरण कमांक 56/अ—27/2006—07 प्रकरण कमांक 202/अ—27/2011—12 को आलोच्य आदेश को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। प्रकरण कमांक 202/अ—27/2011—12 जो अपील में ही निरस्त किया जा सकता था, उसको पुनर्विलोकन आदेश के तहत म्याद के बाहर एक पक्षीय कार्यवाही के अन्तर्गत बगैर दूसरे पक्ष को सुनवाई को अवसर दिये निरस्त करने की प्रकिया को अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानकर विधिक भूल की है। अतः गिनरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का विधि विरूद्व आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4—अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.6.11 के बाद प्रकरण कमांक 59/अ—27/06—07 तहसील न्यायालय के समक्ष प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 13.9.11 से राजीनामा अनुसार राजस्व अभिलेख में इत्तला दर्ज करने का पत्र पटवारी को प्रेषित किया गया लेकिन पटवारी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया बल्कि तहसीलदार से इस आशय का मार्गदर्शन चाहा गया कि राजीनामा अनुसार ग्राम तुर्कहा में मानकुमारी को 1.58 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है लेकिन मानकुमारी द्वारा आज दिनांक की स्थिति में ग्राम तुर्कहा में 1.83 एकड भूमि विकय की जा चुकी है जिससे विसंगति होने से मार्गदर्शन दिया जाय लेकिन तहसीलदार द्वारा कोई मार्गदर्शन नहीं लिया गया और नहीं दिया गया उक्त के संबंध में पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया तथा प्रकरण कमांक 59/अ—27/2006—07 अभिलेखागार में जमा करा दिया

गया। अपनी लेखी बहस में आगे लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के राजीनामा आदेश दिनांक 20.6.11 का पालन नहीं हो पाने से राजीनामा आदेश दिनांक 20.6.11 के पालन हेतु दिनांक 1.3.12 को तहसीलदार तहसील हुजूर के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 मानकुमारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 34/बी–12/2012–13 दर्ज किया गया। उभयपक्ष उपस्थित हुये तथा मूल प्रकरण कमांक 59/अ–27/2006–07 तलब किया गया तब गैरनिगरानीकर्तागण को पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 20.9.11 के अवलोकन से उक्त 0.102 है0 के विसंगति की जानकारी हुयी जिससे विसंगति दूर करने के आशय से गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 द्वारा. गैरनिगरीनकर्ता कमांक–2 शिवानंद से मिलकर दिनांक 12.6.12 को एक आवेदन पत्र व शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्तागण का हित प्रभावित किये बिना मानकुमारी द्वारा तुर्कहा का अतिरिक्त 0.102 है0 शिवानंद से प्राप्त कर ग्राम मैदानी की खसरा कमांक 234 के 0.102 है0 शिवानंद को दिया जा चुका है, जिससे कोई विसंगति शेष नहीं रह जाती व निगरानीकर्तागण का हित भी प्रभावित नहीं होता है। अंत में उनके द्वारा तर्क किया गया है कि प्रकरण कमांक 34/बी–121/2011–12 आदेश दिनांक 18.1.13 से वरिष्ठ न्यायालय के राजीनामा आदेश दिनांक 20.6.11 का पालन किया है, राजीनामा आदेश के विरूद्व कोई अपील/निगरानी/व्यवहार वाद प्रस्तुत नहीं होने से वह अंतिम है तथा राजीनामा के आधार पर पारित विभाजन के विरूद्व कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता है। अतः निष्पादन आदेश दिनांक 18.1.13 के विरूद्व प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण कमांक 56/बी–121/2013–14 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है। **राजस्व निर्णय 1995 पेज 372 का साइटेशन प्रस्तुत किया गया है जिसमें धारा–50 तथ्यों के एक ही निष्कर्ष पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।** अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किथा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया तथा तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि

वादग्रस्त भूमि अनावेदक एवं आवेदक के पति बालमीक के सहखाते की भूमि है। अनावेदक कमांक--1 के द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में खाताविभाजन का आवेदन पेश किया गया था। तहसीलदार के द्वारा प्रकरण कमांक 59/अ--27/06--07 आदेश दिनांक 31.10.09 के द्वारा हिस्सा का विभाजन स्वीकार किया गया था। आवेदक के पति बालमीक केद्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही के समय विभाजन पुल्ली नक्शा सहित राजीनामा आवेदन पत्र दिनांक 28.12.10 उभय पक्षों के द्वारा पेश किया गया था। राजीनामा आवेदन पर सभी पक्षकाकरों के द्वारा हस्ताक्षरबनाये गये हैं। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा राजीनामा आवेदन के आधार पर प्रकरण कमांक. 34/अ--27/09--10 आदेश दिनांक 20.6.2011 अंतिम हो गया है। उभयपक्ष राजीनामा आवेदन के अनुसार आज दिनांक तक मौके पर काबिज दखील है। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के तहत तहसीलदार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/अ--27/06--07 आदेश दिनांक 13.9.11 के तहत राजीनामा अनुसार इन्तलाबी दर्ज करने हेतु पटवारी को आदेशित किया गया है। पटवारी के द्वारा इन्तलावी दर्ज न करने पर अनावेदक मानकुमारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पारित आदेश का पालन कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया। पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 21.8.12 के अनुसार आवेदक कमांक--2 जयशंकर के द्वारा प्रकरण कमांक 202/अ--27/2011--12 आदेश दिनांक 21.3.12 के द्वारा बटवारा नामांतरण का आदेश पारित कियाया जा चुका है। इसीलिये तहसीलदार के द्वारा उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनुमति देने के बाद तहसलदार के द्वारा दिनांक 18.1.13 को आदेश पारित किया गया। प्रकरण कमांक 202/अ--27/2011--12 आदेश दिनांक 21.3.12 निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण कमांक 34/अ--27/09--10 आदेश दिनांक 20.6.2011 में पारित आदेश का पालन कराने हेतु आदेश दिया गया है। जिसके विरूद्व अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील पेश की गई थी जो अपील सारहीन होने के कारण निरस्त कर विचारण न्यायालय तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को वैद्य बताया गया

है। स्पष्ट है कि राजीनामा आवेदन में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर बने हैं सक्षम न्यायालय के द्वारा खारिज नहीं है। राजीनामा आवेदन के विरूद्व कहीं अपील भी पेश नहीं है जो अंतिम हो चुका है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 56/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.5.14 अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है, तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 604/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4.6.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर